

पुस्तकालय

①
3222
25/4/12



10 MAR 2012

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
सं.सं.प्र.सं. ६५६ तिथि २०/५/१२

क्रमांक-99 (श्री शिवजी राय)

श्री शिवजी राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पकड़ी दयाल से भुसौलवा छपरा बिहारी होते हुए शेखपुरवा बाजार सड़क का जीर्णोद्धार करावे।”

डा० भीम सिंह, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की कुल लम्बाई 9 किलोमीटर है जिसमें 4 किलोमीटर पथ की स्थिति ठीक है, शेष 5 किलोमीटर पथ कालीकृत एवं खराब है। इस पथ के निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है। इस संबंध में प्रारंभिक प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री शिवजी रायजी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री शिवजी राय : मंत्रीजी के आश्वासन के आलोक में वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य, श्री शिवजी रायजी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-100 (श्री सतीश कुमार)

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आम जनता को निर्बाध आवागमन की सुविधा एवं प्रत्येक दिन लगनेवाला जाम से निजात दिलाये जाने हेतु वर्ष 1997 में निर्मित वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड को पटना से जोड़नेवाली लाईफ लाईन पीपा पुल जिसमें लोहे का चादर, गार्टर, पीपा एवं नट बोल्ट जर्जर हो चुका है, का जीर्णोद्धार करावे।”

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड को पटना से जोड़नेवाले पीपा पुल का कामचलाऊ मरम्मत कर दिनांक 28.12.2011 को संचालन कर दिया गया है। पीपा पुल का भार क्षमता 5 टन का ही है। पीपा पुल पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर एवं भारी वाहन के परिचालन जारी रखने से लोहे का चादर, गार्टर, पीपा एवं नट बोल्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पीपा पुल पर भारी वाहनों के परिचालन को रोकने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को समय समय पर पत्र लिखा गया है लेकिन महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है नट बोल्ट के बारे में, गार्टर के बारे में, चादर के बारे में तो अभी तो वहां सवारी चल रही है इसलिये जून, 2012 में जब पीपा पुल खुलेगा और नवंबर, 12 में पुनः जब लगाया जायेगा उस समय उसके सारे अवयव को बदलकर लगाया जायेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमारजी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री सतीश कुमार : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे मन की बात कही है । इनके सकारात्मक जवाब से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमारजी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-101 (डा0 अरूण कुमार)

डा0 अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत जमुनियां चौक (एन0एच0-107) से भाया सोनपुरा होते हुए एन0एच0 -107 तक की ग्रामीण कार्य विभाग की जर्जर सड़क का अविलंब पुनर्निर्माण करावे ।”

डा0 भीम सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत जमुनियां चौक (एन0एच0-107) से भाया सोनपुरा होते हुए एन0एच0-107 तक की लम्बाई 3.625 किलोमीटर है जिसके निर्माण की अनुमानित लागत 2.20 करोड़ रुपये है । यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पुनरीक्षित कोर नेटवर्क के सी0एन0-6 में सम्मिलित है । भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जा सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, डा0 अरूण कुमारजी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

डा0 अरूण कुमार : जी वापस लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य, डा0 अरूण कुमारजी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-102 (श्री राज कुमार राय)

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलांतर्गत मब्बी से पटशा मधेपुर, कुण्डल होते हुए राजघाट तक सड़क का निर्माण करावे ।”

डा0 भीम सिंह, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 16 किलोमीटर है जो कालीकृत एवं खराब है । इसके निर्माण पर 9 करोड़ 97 लाख रुपये व्यय अनुमानित है । इस संबंध में प्रारंभिक प्रतिवेदन की मांग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य राज कुमार रायजी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राज कुमार राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य, राज कुमार रायजी का प्रस्ताव वापस हुआ ।